राजस्थान सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नांगल राजावतान (दौसा)

दावा संख्या 19/2014

दायर दिनांकः 12-12-2014

निर्णय दिनांकः 18-10-2017

उनवान

रामकरण उम्र 60 साल पुत्र शंकर जाति मीणा निवासी ढाणी बारवाल नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान

बनाम

1.कन्हैया पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी ढाणी बारवाल नांगल राजावतान (फोत)
2.रंगलाल पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी ढाणी बारवाल नांगल राजावतान
3.लछमा बेवा जगदीश जाति मीणा निवासी ढाणी बारवाल
4.श्रवण दत्तक पुत्र पून्या जाति मीणा निवासी ढाणी बारवाल नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टि.एक्ट
वास्ते नियुक्त करने रिसीवर

:::निर्णय:::

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम नांगल राजावतान मे स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 517, 518, 519, 524, 525, 538, 560, 561, 568, 569, 570, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 584, 585, 586, 588, 589, 631 कुल किता–25 कुल रकबा 8.46 हैक्टेयर वर्तमान जमाबन्दी मे प्रार्थी रामकरण तथा अप्रार्थी कन्हैया, रंगलाल, लछमा देवी व श्रवण की संयुक्त खातेदारी मे अंकित है, जिसमे प्रार्थी रामकरण का हिस्सा 1/3, अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 का हिस्सा 1/3 तथा अप्रार्थी संख्या 4 का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 रंगलाल व लछमा ने खसरा नंबर 584 रकबा 0.20 है0 पर कब्जा कर उसमे दो दुकाने पुख्ता व उसके मध्य गैलेरी बना रखी है व 30X22 फीट भूमि पर अपना आवास बना रखा है। खसरा नंबर 584 के उत्तरी भाग 60X30 फीट भाग पर वादी का कब्जा है और उसमे उसका बाडा आदि बना हुआ है। यह भूमि दौसा से लालसोट जाने वाले नेशनल हाईवे के सहारे उपयोगी भूमि है। प्रार्थी इसमे 1/3 भाग अपना होना बता रहा है जिस पर विवाद होने का यह दावा पेश किया गया है। दावे के साथ ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 19.11.2014 को न्यायालय ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मौके की यथास्थिति बनाए रखने की जारी की गई थी, जो अभी तक प्रभावशील है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से जवाब पेश हुआ । अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामील के उपस्थित नही होने पर दिनांक 30.04.2015 को इकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रकरण मे तोफान पुत्र हरचन्दा, कालूराम पुत्र महादेवा, कैलाश पुत्र नानगा आदि जाति मीणा ढाणी

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नांगल राजावतान (दौसा)

बारवाल नांगल राजावतान जरिये अधिवक्ता श्री विनोद विजय प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी वास्ते बनाये जाने पक्षकार प्रतिवादी/अप्रार्थी पेश हुआ जिस पर वाद सुनवाई न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.06.2015 द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी खारिज किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस पेश की ।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस एवं लिखित बहस मे दलील दी है कि ग्राम नांगल राजावतान मे स्थित भूमि खसरा नंबर 517, 518, 519, 524, 525, 538, 560, 561, 568, 569, 570, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 584, 585, 586, 588, 589, 631 कुल किता–25 कुल रकबा 8.46 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वर्तमान जमावन्दी के इन्द्राज सही व मान्य है। उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी रामकरण का 1/3 भाग खातेदारी है तथा अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 का भी 1/3 भाग है तथा अप्रार्थी संख्या 2 का भी 1/3 भाग है। प्रार्थी ने न्यायालय मे दावा विधिवत विभाजन हेतु पेश किया है जब तक भूमि का न्यायालय द्वारा बंटवारा न किया जावे तब तक न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था करना न्यायोचित है कि वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि की स्थिति यथावत रहे, उसमे न तो कोई निर्माण आदि किया जावे और न ही कोई बेचान आदि किया जावे, फिलहाल सहुलियत के अनुसार पृथक–पृथक भाग पर कब्जा कर काश्त कर रहे है उसमे कोई दखलन्दाजी नही की जावे।

उपरोक्त भूमि मे से खसरा नंबर 584 रकबा 0.20 है0 लालसोट जाने वाले नेशनल हाईवे के सहारे स्थित है और अप्रार्थी संख्या 2, 3 रंगलाल व लक्ष्मा ने उक्त भूमि पर दो दुकानें 30 फिट लम्बी व 22 फिट चौडी बना रखी है, जिनमे अप्रार्थी संख्या 2, 3 ने अपना आवास बना रखा है और खसरा नंबर 584 के 60X30 फीट भाग पर कब्जा कर बाडा बना रखा है। अप्रार्थी संख्या 2, 3 उस बहुमूल्य भू–भाग को अन्य को बेचने व कब्जा करवाने को आमादा हो रहे है इसलिए प्रार्थी ने विभाजन का दावा करने के साथ ही दिनांक 19.11.2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जिस पर न्यायालय ने दिनांक 19.11.2014 को ही यह अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमाई थी कि वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाए रखें। न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2014 की तामील हो जाने के बाद भी अप्रार्थीगण के गिरोह के लोग लाठीयां लेकर बलवा करके आ गये और खसरा नंबर 582 के 60X30 फीट भाग पर टीनशेड लगाने पर आमादा हो गये और 1–2 लोहे के पोल भी गाड दिये। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष शिकायत पेश की तो न्यायालय द्वारा थाना नांगल राजावतान को न्यायालय के आदेश की पालना करने के निर्देश दिये गये। माननीय न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा की अवमानना यदि अप्रार्थीगण करें तो सम्पत्ति की रक्षा का एकमात्र उपाय यही है कि वादग्रस्त भूमि पर तत्काल रिसीवर नियुक्त किया जावे। माननीय राजस्व मण्डल ने भी सिद्वान्त सुस्थापित कर दिया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा की अवमानना करने की स्थिति मे वादग्रस्त भूमि को तुरन्त कब्जे राज मे लेकर रिसीवर को सुपुर्द कर दिया जावे ताकि उस पर कोई निर्माण नही हो सके और अन्तिम निर्णय तक सम्पत्ति की रक्षा की जा सके। अपने तर्को के समर्थन मे आरआरडी 1990 पेज 327 एवं आरआरडी 1989 पेज 3 की नजीरें पेश की। अतः ग्राम नांगल राजावतान स्थित खसरा नंबर 584 का वादग्रस्त भाग 60X30 फीट जो उत्तर दक्षिण 60 फीट , पूर्व पश्चिम 30 फिट चौडा है तथा जिसे वाद पत्र के संलग्न नक्शे मे एच, के,एन, एम, एल, आई से अंकित किया है। उक्त भू–भाग को कब्जे मे लेवें तथा कोई निर्माण कार्य नही होने दें तथा तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब मे रिसीवर प्रार्थना पत्र मे दिये गये तथ्यों को स्वीकार किया गया है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना अंकित किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया। दावे व प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने इकबाली जवाब पेश किया है। भूमि की बरबादी

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नांगल राजावतन (दौसा)

की सूरत प्रतीत हो रही है क्योंकि इसमे निर्माण करने व अकृषि प्रयोजन कर वादग्रस्त भूमि के वेस्ट डेमेज ऐलीनेशन की स्थिति की जा रही है। इस प्रार्थना पत्र की पुष्टि मे प्रार्थी रामकरण ने अपना शपथ पत्र पेश किया है तथा जमाबन्दी व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की नकल पेश की गई है। स्वीकारोक्ति सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, जिससे प्राईमाफेसी केस अपूरणीय क्षति बैलेन्स ऑफ कनवीनियेन्स तथा वेस्ट डेमेज एवं एलीनेशन निसन्देह रूप से सिद्ध है। प्रार्थी की ओर से यह भी रूलिंग पेश की गई है कि तकास्मे के दावे मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के बाद भी यदि भूमि की खुर्द–बुर्द की स्थिति हो तो एकमात्र उपचार रिसीवर नियुक्त करना है। इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की अपील मान्य न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी मे की गई है, जिसकी पत्रावली उनके यहां भिजवाई हुई है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा वर्तमान मे जारी है। न्यायालय के आदेश दिनांक 10.06.2015 के विरूद्ध तोफान पुत्र हरचन्दा वगै0 द्वारा मान्य ग्राम न्यायालय दौसा मे अपील की गई है, जो विचाराधीन चूँकि अप्रार्थी संख्या 1 कन्हैया उपस्थित नही हुआ व जवाब भी पेश नही किया, उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। इसलिए आदेश 22 नियम 4 के खण्ड 4 अनुसार उसकी मृत्यु उपरान्त उसके विधिक प्रतिनिधि बनाने से छूट प्रदान कर निर्णय दिया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के उपरान्त भी प्रश्नगत भूमि के खुर्द–बुर्द होने की स्थिति को मध्येनजर रखते हुए रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि ग्राम नांगल राजावतान में स्थित खसरा नंबर 584 का 60X30 फीट वह भाग जो नांगल–लालसोट रोड पर स्थित जगन मीना के मकान से सटकर दक्षिण मे है व प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में हरूफ ए बी सी डी से दर्शित किया गया है, पर तहसीलदार नांगल राजावतान को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। वे उक्त भाग को अपने कब्जे में लेकर सम्पत्ति को संरक्षित करने की व्यवस्था करें, और कुर्क किये गये इस भाग मे कोई निर्माण, अतिक्रमण आदि नहीं होने देवें। यदि कोई निर्माण भी कर लिया गया हो तो उस पर भी रिसीवर तत्काल अपने कब्जे मे लेकर विधिवत उसकी उचित व्यवस्था करें। रिसीवर को कब्जा लेने के संबंध मे किसी अग्रिम स्थिति से बचाने के लिए एस.एच.ओ. नांगल राजावतान को भी पर्याप्त पुलिस सहायता देने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार नांगल राजावतान एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना, नांगल राजावतान को प्रेषित हो।

उक्त आदेश आज दिनांक 18.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ गोरधन लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
नांगल राजावतान(दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नांगल राजावतान (दौसा)